समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याःम.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : 10/– रू.

Reg.No.:756-13.02.1960

# उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 15 संयुक्तांकः 17–18 भोपाल दि.–10/25.09.2018

(परिपत्र क्र. 46–52)

## परिपत्र क्रमांक : 46

**मध्यप्रदेश शासन**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,**
**// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 07.05.2018

क्रमांकः एफ 5–21/2017/अ–तेहत्तर : राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 के बिन्दु क्रमांक 4.2 अनुसार विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने पर इकाई को पृथक से पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है, जबकि जीएसटी अधिनियम की धारा 25 (2) के अंतर्गत समान उत्पाद होने पर एकल पंजीयन का प्रावधान है। अतः मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 के बिन्दु क्रमांक 4.2 के निम्न प्रावधान कोः

''औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाईल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। साथ ही विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के प्रकरणों में पूर्व से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी पृथक से विस्तार/डायवर्सीफिकेशन /तकनीकी उन्नयन हेतु पंजीयन कराना होगा। किसी कम्पनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा।''

नीचे दर्शित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता हैः

''औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाईल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। साथ ही जीएसटी अंतर्गत पंजीकृत इकाई को अपने विजनेस वर्टीकल (जीएसटी अधिनियम अंतर्गत परिभाषित) के लिए इस योजना अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। किसी कम्पनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा।''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**(पर्वत सिंह)**
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

*Ref.: MPSSIO/8/2018-19/*

सम्पादन सहयोगीः **कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील गोठी**

**M.P. Small Scale Industries Organization**
E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

## परिपत्र क्रमांक : 47

**मध्यप्रदेश शासन**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग**
**// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 09.07.2018

क्रमांकः एफ 5–21/2017/अ–तेहत्तर : राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः

1. योजना के बिन्दु क्रमांक 6.1 के निम्न प्रावधान कोः–

''उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि में स्थापित इकाईयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।''

नीचे दर्शित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

**''उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।''**

2. योजना के बिन्दु क्रमांक 7.1 के अंत में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता हैः–

''उक्त अधोसंरचना के विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।''

3. योजना के बिन्दु क्रमांक 7.4 के अंत में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता हैः–

**''(iv) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति''**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**(धनंजय सिंह)**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

---

**प्रति,**

**समस्त सदस्य**
**म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन.**

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि, आप सबके सक्रिय भागीदारी से आर्गेनाइजेशन सुचारू रूप से संचालित है। आर्गेनाइजेशन द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों जैसं विद्युत, फैक्ट्री लायसेंस, श्रम, प्रदूषण, औद्योगिक अनुदान, भूमि, स्थानीय प्रशासन, तथा अन्य विषयों पर शासन को प्रतिवेदनों द्वारा बैठकों या अन्य माध्यमों से उद्योगों को होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रयास किये जाते है। आपका भी यदि किसी विषय पर कोई अपना सुझाव या कठिनाई हो तो हमें अवगत कराने की कृपा करें। जिसे संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया जा सकें।

**सधन्यवाद।**

भवदीय

**(विपिन कुमार जैन)**
महासचिव

## परिपत्र क्रमांक : 48

क्रमांकःएमपीएसएसआईओ / 12 / 2018–19 / दिनांकः 24.08.2018

**प्रति,**

**श्रम आयुक्त, म.प्र.,**
**मोती बंगला परिसर,**
**एम.जी. रोड,**
**इन्दौर।**

**विषयः कारखाना अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को फौजदारी न्यायालयों की बजाय श्रम न्यायालय में सुनवाई बावत्।**

**महोदय,**

हमारी सदस्य इकाई में. ईस्टर्न रिफेक्ट्रीज लि., टीकमगढ़ का अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुआ। सन्दर्भित विषय पर पूर्व में भी हमारे द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि, फौजदारी न्यायालय में प्रकरण श्रम न्यायालय की अनुशंसा होने पर ही दाखिल किया जाए, जिससे फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनाईयों से उद्यमी को राहत मिल सके। साथ ही साथ हम प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को और समृद्ध करने में सहयोगी बनें।

**सधन्यवाद।**

भवदीय

**(विपिन कुमार जैन)**
महासचिव

**प्रतिलिपिः**

1. श्री शिवराजसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. माननीय श्रम मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. श्री संजय जैन, मे. ईस्टर्न रिफेक्ट्रीज लि., टीकमगढ़।
5. श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, खरगोन।

## सदस्यों से सुझाव एवं स्वीकृति बावत्

**प्रिय सदस्य,**

दिनांक 27.06.2018 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में कतिपय सदस्यों से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि, सदस्यों से यह जानकारी प्राप्त की जावें कि वे ''उद्यम प्रेरणा'' पत्रिका की हार्ड कॉपी चाहते है या नही यदि सॉफ्ट कॉपी उनके लिए उपयुक्त है तो उन्हें उनकी स्वीकृति से हार्ड कॉपी भिजवाई जावे। इससे खर्च में भी कमी आवेगी तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त होगा। कृपया अपने सुझाव एवं स्वीकृति कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

## परिपत्र क्रमांक : 49

क्रमांकःएमपीएसएसआईओ / 28 / 2018–19 / दिनांकः 05.09.2018

**प्रति,**

**डॉ. देवराज बिर्दी**
**अध्यक्ष, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग,**
**पांचवीं मंजिल, मेट्रो प्लाजा,**
**अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट,**
**भोपाल – 462016 (म.प्र.)**

**विषयः** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर शहरी क्षेत्र की विद्युत दर प्रभावशील करने विषयक।

**महोदय,**

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना अपना कर्तव्य समझते है कि, विद्युत टेरिफ आर्डर वर्ष 2017–18 में औद्योगिक विकास क्षेत्रों को छोड़ कर शेष ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगों पर ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभावशील विद्युत दर निर्धारित थी।

वर्ष 2018–19 के टेरिफ आर्डर में सभी ग्रामीण क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु उद्योगों पर शहरी क्षेत्र के उद्योगों पर प्रभावशील विद्युत दर निर्धारित कर दी गई है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों पर अतिरिक्त विद्युत देयकों का भार आ गया है।

हमें आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को कच्चा माल, बाजार की उपलब्धता, इकाई के संधारण की सुविधा, कुशल श्रमिक, प्रबंधन व्यवस्था, आदि अधिक मंहगा पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग राज्य शासन तथा अन्य शासकीय उपक्रमों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लाभ हेतु ही उद्यमी उद्योग स्थापित करते है। ऐसी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण अवरूद्ध होगा तथा रोजगार बढ़ने की संभावनाओं पर भी विपरीत प्रभाव होगा।

अतः हमारा आपसे आग्रह है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को टेरिफ आर्डर वर्ष 2017–18 की भांति ही रखने हेतु आदेश निकालने की कृपा करें।

**सधन्यवाद।**

भवदीय

**(विपिन कुमार जैन)**
महासचिव

**प्रतिलिपिः**

1. श्री शिवराजसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. श्री पारस चन्द्र जैन, माननीय ऊर्जा मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. श्री पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संगठनों की ओर।
6. श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, खरगोन।

## परिपत्र क्रमांक : 50

क्रमांकःएमपीएसएसआईओ/47/2018–19/ दिनांकः 14.09.2018

**प्रति,**

**श्री बालकृष्ण पाटीदार**
**माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),**
**श्रम विभाग, म.प्र. शासन,**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।**

**विषयः** फैक्ट्री एक्ट लायसेंस फीस में 1000% बढ़ोत्तरी बावत्।

**आदरणीय महोदय,**

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहते हैं कि, 1 जनवरी 2002 से फैक्ट्री एक्ट लायसेंस फीस का पुनः निर्धारण किया गया था। इस प्रपत्र के अुनसार प्रत्येक 3 वर्ष में फैक्ट्री लायसेंस फीस 30 प्रतिशत अपनेआप बढ़ जायेगी। यानि जिस इकाई की सालाना लायसेंस फीस रू. 9000 वर्ष 2002 में थी वह क्रमशः निम्नानुसार बढ़ेगी।

| क्र. | वर्ष | | फीस |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 जनवरी | वर्ष 2002 | रू. 9000.00 |
| 2. | 1 जनवरी | वर्ष 2005 | रू. 11,700.00 |
| 3. | 1 जनवरी | वर्ष 2008 | रू. 15,210.00 |
| 4. | 1 जनवरी | वर्ष 2011 | रू. 19,773.00 |
| 5. | 1 जनवरी | वर्ष 2014 | रू. 25,704.00 |
| 6. | 1 जनवरी | वर्ष 2017 | रू. 33,416.00 |
| 7. | 1 जनवरी | वर्ष 2020 | रू. 43,441.00 |
| 8. | 1 जनवरी | वर्ष 2023 | रू. 56,474.00 |
| 9. | 1 जनवरी | वर्ष 2026 | रू. 73,415.00 |
| 10. | 1 जनवरी | वर्ष 2029 | रू. 95,440.00 |

इस तरह से 25 वर्ष में फैक्ट्री लायसेंस फीस करीब 1000 प्रतिशत बढ़ जायेगी। यह एक विचारणीय प्रश्न है।

अतः आपसे आग्रह है कि, इस पर पुनः विचार कर आवश्यक संशोधन किया जाए।

**सधन्यवाद।**

भवदीय

**(विपिन कुमार जैन)**
महासचिव


## उद्यम प्रेरणा में विज्ञापन की दरें

विज्ञापन मे उद्योगों से संबंधित प्लाट एवं मशीनरी की खरीदी बिक्री, औद्योगिक इकाई के बेचने एवं खरीदने संबंधी, उत्पाद/सेवाओं के प्रचार प्रसार, कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रदायकर्ता की तलाश, निविदाएं, श्रम शक्ति की आवश्यकता, स्पेशलाइजेशन सेवाओं की आपूर्ति अन्य जानकारी आदि दिये जा सकते है। अपनी आवश्यकतानुसार विज्ञापन दे कर लाभ उठाएँ।

1. फुल पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 2000.00
2. आधा पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 1100.00
3. एक चौथाई पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 600.00

## परिपत्र क्रमांक : 51

# बैंक लोन एनपीए और उद्योगपतियों के अधिकार

एक अनुमान के मुताबिक पिछले वर्षों में माइक्रों, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अगले पांच सालों में बैंक लोन की मात्रा 12 से 14 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। बैंकों के साथ गैर बैंकिग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। एक और अनुमान के मुताबिक रू. 25 करोड़ से कम क्रेडिट एक्सपोजर वाली इकाइयों ने पिछले वर्षों में करीब 16 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि दर्ज की है। रू. 10 लाख से कम के क्रेडिट एक्सपोजर वाले उद्यमों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 10 लाख से 50 लाख रूपये के एक्सपोजर वाले उद्यमों में 21 फीसदी की बढ़ोततरी हुई है। जिन उद्यमों के क्रेडिट एक्सपोजर 1 करोड़ से 5 करोड़ रूपये के बीच है, उन्होंने Y-o-Y आधार पर 17 फीसदी की बढ़त दर्ज की है। जिस तेजी से क्रेडिट ग्रोथ है उसी तेजी से इस सेक्टर में बैंक एनपीए भी बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय ये है की सारे के सारे डिफाल्टर बिलकुल डिफाल्टर नही हैं।

इन दिनों बैंकों द्वारा कई एमएसएमई इकाइयों को एनपीए किताबों में दिखाया जा रहा है। रिकवरी ना होने के कई कारणों में से एक ये भी है की अधिकतर ऋणों को सीजीटीएमएसई (माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के तहत कवर नहीं किया गया है और तो और टेक्नो इकोनॉमिक बायएबिलिटी (टीईवी) के अध्ययन पर भी अपेक्षाकृत जोर नहीं दिया गया। जो ऋण एनपीए हो चुके है उन्हें टीईवी अध्ययन के बाद पुनर्गठन के लिए कोशिशें नहीं की जा रही है। यदि कोई पात्र इकाई है तो उसके पुनर्गठन, नवीनीकरण या पुनरारंभ करने के लिए बैंकों द्वारा भारी शर्तों को लगाया जाता है, जिन्हें पूरा करना उद्योगपतियों के लिए लगभग अंसभव होता है। कई उद्योगपतियों द्वारा ओटीएस (One Time Settlement) के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद सम्पत्तियों को सरफेसी में बेच दिया गया है। स्ट्रेस की दशा में बैकों द्वारा अतिरिक्त फण्ड देने से मना कर दिया जाता है, जिससे वे इकाइयां एनपीए केटेगरी में आ जाती है।

सबसे बड़ी समस्या ये है की समय पर किश्त ना चुकाने या सी सी लिमिट में ब्याज जमा ना किये जाने पर बैंकों द्वारा सरफेसी एक्ट में कार्यवाही की जाती है, जो लोग बिलकुल डिफाल्टर्स नहीं है उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरा के पूरा लोन रिकॉल कर लिया जाता है, जिसे एकदम से भरना उद्योगपति के लिए संभव नही होता है। उसके बाद लिमिट भी फ्रिज कर दी जाती है। लिक्विडिटी एकदम से खतम हो जाती है। फिर न्यूज पेपर में पब्लिकेशन दे दिया जाता है। उद्योगपति का नाम बाजार में आ जाने से व्यक्तिगत साख गिर जाती है और व्यक्तिगत फाइनेंस लेना भी असंभव हो जाता है। फैक्ट्री पर ताला डाल दिया जाता है और अंततः प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। और इस प्रकार एक चलते उद्योग को बंद होना पड़ता है। न केवल बेरोजगारी पैदा होती है पर देश की जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकों को चाहिए की वे अपनी एमएसएमई की एनपीए की नीतियों को परिष्कृत करें क्योंकि एक इकाई को शुरू होने में कई प्रयास करने पड़ते है और इकाई को शुरू होने में महीनों का समय लग जाता है। परन्तु ताला लगाने में कोई समय नही लगता।

दरअसल सभी उद्योगपति या व्यापारी बिलकुल डिफाल्टर नहीं होते। तरलता की समस्या परिस्थितिजन्य भी होती है। कई कारण होते है जैसे की गैर–वित्तीय सहायता–विपणन रणनीति, उत्पाद भेदभाव, प्रक्रिया परिवर्तन, बिजली बकाया/ब्याज, छूट या वाणिज्यिक कर बकाया या सब्सिडी का ना मिलना, अपूर्ण वित्तीय सहायता, प्रोजेक्ट का गलत आंकलन और सबसे महत्वपूर्ण कैश फ्लो का ठीक से प्रबंधन ना होना। कभी कभी विलंबित डिस्बर्सल, इकाइयों के लिए स्वीकृत सीमाओं में देरी, और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए परामर्शदाता की कमी, संपार्शिक प्रतिभूतियों के माध्यम से उन्हें कुचलने के प्रयास आदि सभी इस क्षेत्र में एनपीए मुख्य के स्त्रोत है। एनपीए घोषित करने से पूर्व बैंकों द्वारा, वैकल्पिक उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एनपीए की स्थिति में बैंक/कर्जदाताओं द्वारा सरफेसी एक्ट में कार्यवाही की जाती है जो की ऋण वसूली के लिए बैंकों के पास एक शशक्त हथियार होता है।

प्रतिभूतीकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित को प्रभावी करने का अधिनियम, 2002 (SARFEASI ACT) एक ऐसा एक्ट है जो बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय की पहल के बगैर, एनपीए वसूल करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए कई विकल्प प्रदान किये जाते है जैसे की प्रतिभूतीकरण, आस्तियों का प्रतिभूतीकरण अथवा न्यायालय के दखल बगैर प्रतिभूति को प्रभावी बनाना।

चूककर्ता ऋणी को और गारंटीकर्ता को 60 दिनों की अवधि का मांग नोटिस दिया जाता है। यदि मांग नोटिस प्राप्त करने पर ऋणी कोई प्रतिवेदन करता है या आपत्ति उठाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्रतिवेदन या आपत्ति पर सावधानी से विचार करता है और यदि वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसा प्रतिवेदन या आपत्ति स्वीकार्य या तर्कसंगत नहीं है तो वह इसकी सूचना ऐसे प्रतिवेदन या आपत्ति की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अस्वीकृति के कारण सहित सूचित करता है।

सरफेसी अधिनियम में यह अनुमति दी गई है कि अगर कर्ज के पुर्नभुगतान में चूक होती है तो कर्ज के बदले में गिरवी संपत्ति को बैंक/कर्जदाता कब्जे में ले सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को जिलाधिकारी के आदेश/सहयोग से पूरा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। जिलाधिकारी का ये दायित्व है की वो इस प्रक्रिया को 30 दिन के भीतर पूरी करवाने को सुनिश्चित करें। अगर कोई इकाई कर्ज के भुगतान में सफल नहीं होती है तो बैंक/ कर्जदाता उस इकाई का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है। बैंक/कर्जदाता ऐसी प्रतिभूतियों को बेच सकता है या पट्टा कर सकता है या हक समनुदेशित कर सकता है।

जहॉ एक और ये अधिनियम बैंको/कर्जदाताओं को शशक्त बनाता है वही किसी भी प्रकार के अन्याय से बचने के लिए ऋण लेने वालों को भी कुछ अधिकार देता है उद्योगपतियों को उन्हें जानना और समझना काफी जरूरी है। एनपीए होने की दशा में निम्न अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए।

- सरफेसी अधिनियम के प्रावधान सिर्फ रू. 1.00 लाख से अधिक बकायादारों गैर निष्पादक ऋणों के लिए ही लागू है।
- जिस एनपीए ऋण खातों में राशि मूलधन और ब्याज के 20 प्रतिशत से कम हो ऐसे खातों की इस अधिनिमयों के तहत नहीं लाया जा सकता।
- कृषि भूमि को सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत नीलाम नहीं किया जा सकता।
- मांग नोटिस प्राप्त होने पर ऋणी प्रतिवेदन कर सकता है या आपत्ति उठा सकता है।
- बैंक की कार्यवाही से प्रभावित ऋणी/गारंटीकर्ता डीआरटी में और बाद में डीआरएटी में अपील कर सकता है, लेकिन न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता।
- SARFASI अधिनियम की धारा 34 के तहत दीवानी अदालत का क्षेत्राधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता है और निषेधाज्ञा का उसका अधिकार भी समाप्त नहीं होता। कुछ विशेष मामलों में दीवानी अदालत में भी गौर किया जा सकता है।
- कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 60 के अनुसार ग्रहणाधिकार, गिरवी, किराया खरीद और पट्टे द्वारा उपलब्ध प्रतिभूतियों को भी इस अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता और इसलिए जब्ती के लिए पात्र नहीं है।
- अगर प्रतिभूमि/प्रॉपर्टी की वैल्यू कम बता दी गई है तो डिफाल्टर उद्योगपति अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और अपनी और से कोई बेहतर ऑफर देकर अपनी आपत्ति को सही ठहरा सकता है।
- उद्योगपति स्वयं बेहतर कीमत की पेशकश करने वाले संभावित खरीददार की खोज कर उन्हें लेंडर बैंक/ कर्जदाता से मिलवा सकता है।
- बैंक/ कर्जदाता द्वारा बकाया रकम और नीलामी खर्च वसूली के बाद कानून के तहत बची रकम ऋणी उद्योगपति को देना पड़ती है।
- कोई भी वित्तीय संस्था या उसका रिकवरी एजेंट ऋणी उद्योगपति के साथ असामाजिक व्यवहार नहीं कर सकता और अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता।

CS Manoj Joshi
(Director - CorpCraft Solutions Pvt. Ltd.)
Mob.: 8821025737, 9171225737
लेखक NPA और बैंकिंग मामलों के जानकार हैं।

**परिपत्र क्रमांक : 52**

# वर्क कॉन्ट्रेक्ट क्या है ?

सीधे शब्दों में कहें, एक कार्य अनुबंध अनिवार्य रूप से सेवा का अनुबंध है, जिसमें अनुबंध के निष्पादन में माल की आपूर्ति भी शामिल हो सकती है। यह मूल रूप से पार्टियों के बीच अनुबंधन में सेवा तत्व प्रभावी होने के साथ ही सेवाओं और सामान दोनों की एक समय आपूर्ति है।

एक सामान्य अर्थ में, कार्यों का अनुबंधन, चल और अचल संपत्ति दोनों से संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक उप–ठेकेार, भवन के काम के लिए उप–अनुबंध करता है, तो यह अचल संपत्ति के संबंध में एक कार्य अनुबंध होगा। इसी तरह, यदि चल संपत्ति जैसे फेब्रिकेशन, पेंटिंग, वार्षिक रखरखाव अनुबंध इत्यादि के संबंध में एक समग्र आपूर्ति की जाती है, तो यह एक कार्य अनुबंध की व्यापक परिभाषा के दायरे में आ जाएगा।

एक कार्य अनुबंध में सेवाओं के प्रावधान और माल की बिक्री दोनों के तत्व होते है, और इसलिए दोनों कानूनों के तहत कर योग्य थे।

**वैट**

गानन डंकरली के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक अनुबंध के मामले में, अनुबंध का प्रमुख इरादा कामों का निष्पादन है, जो एक सेवा है और माल की बिक्री का कोई तत्व नहीं है (जैसा कि माल की प्रति बिक्री अधिनियम)। अनुबंध एक अविभाज्य अनुबंध है, इसे कार्य अनुबंध के निष्पोदन में शामिल वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने के लिये तोड़ा नही जात सकता है। इस फैसले ने सरकार को भारत के संविधान में संशोधन करने और अनुच्छेद 366 (26ए) (बी) डालने का नेतृत्व किया जिससे राज्य को सक्षम बनाया गया।

एक अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (जैसे माल या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर (वेट) लगाने के लिए सरकारें अधिकृत है।

**सेवा कर**

काम अनुबंध को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 बी में एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है ,जिसमें इस तरह के अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामानों में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। लगाए जाने वाले माल की बिक्री के रूप में कर और इस तरह के अनुबंध निर्माण, कमीशन, स्थापना, समापन, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, किसी भी चलने योग्य या चल या अचल संपत्ति के परिवर्तन या किसी अन्य समान गतिविधि को करने के उद्देश्य से किया जाता है या ऐसी संपत्ति के संबंध में इसका एक हिस्सा।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई के आधार पर कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सेवा हिस्सा एक घोषित सेवा थी। इसलिए सेवा कर केवल कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर लगाया जा सकता है। माल के मूल्य के पृथक्करण के सिद्धांत सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2ए में प्रदान किए गए थे।

**जीएसटी के तहत स्थिति**

जीएसटी कानूनों के तहत, ''वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट'' की परिभाषा मौजूदा वैट और सेवा कर प्रावधानों के विपरीत अचल संपत्ति के लिए किए गए किसी भी काम तक सीमित है जहां चल संपत्तियों के लिए अनुबंध भी माना जाता है।

कार्य अनुबंधों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 2 (119) में परिभाषित किया गया है। ''अनुबंध अनुबंध'' का मतलब भवन, निर्माण, समापन, स्थापना, फिटिंग, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, परिवर्तन या निर्माण के लिए एक अनुबंध है किसी भी अचल संपत्ति की कमीशन जिसमें माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल या किसी अन्य रूप में) ऐसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल है।

इस प्रकार, उपयुक्त से यह देखा जा सकता है कि कार्य अनुबंध केवल किसी अचल संपत्ति के निर्माण, निर्माण आदि के निर्माण के लिए अनुबंध तक ही सीमित है। माल पर किए गए इस तरह की कोई भी समग्र आपूर्ति उदाहरण के लिए ऑटोमोटिव बॉडी शॉप में एक फेब्रिकेशन या पेंट जॉव जीएसटी के तहत टर्म वर्क कॉन्ट्रेक्ट की परिभाषा में नही आती है। ऐसे अनुबंध संयुक्त आपूर्ति जारी रहेगा, लेकिन जीएसटी के प्रयोजनों के लिए वर्क्स अनुबंध के रूप में नही माना जाएगा।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 को अनुसूची II के पैरा 6 (ए) के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (119) में परिभाषित अनुबंधों को अनुबंधों के रूप माना जाएगा। इस प्रकार, जीएसटी के तहत सेवा की आपूर्ति के

रूप में एक कार्य अनुबंध की स्पष्ट सीमा है। सीजएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (5) (सी) के अनुसार, एक अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर काम कर अनुबंध सेवाओं के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, सिवाय इसके कि यह कहां है काम अनुबंध सेवा की और आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा प्राप्त की गई है।

इस प्रकार, काम अनुबंध के लिए आईटीसी केवल उस व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है जो व्यवसाय की एक ही पंक्ति में है और काम अनुबंध की और आपूर्ति के लिए प्राप्त ऐसी सेवाओं का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए एक बिल्डिंग डेवलपर पूरे काम के कुछ हिस्सों के लिए उप–ठेकेदार की सेवाएं संलग्न कर सकता है। उप–ठेकेदार मुख्य ठेकेदार पर उठाए गए कर चालान में जीएसटी चार्ज करेगा।

मुख्य ठेकेदार आईटीसी को अपने उप–ठेकेदार द्वारा उठाए गए टैक्स चालान पर लेने का हकदार होगा क्योंकि उसका आउटपुट अनुबंध सेवा है। हालांकि यदि मुख्य ठेकेदार आईटी व्यवसाय में कम्पनी के लिए काम अनुबंध सेवा (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) प्रदान करता है, तो काम ठेकेदार द्वारा उठाए गए चालान पर भुगतान जीएसटी का आईटीसी आईटी कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

कुछ मामलों में संयंत्र और मशीनरी जब पृथ्वी पर स्थायी रूप से चिपक जाती है तो अचल संपत्ति बन जाएगी। जब एक कार्य अनुबंध संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए होता है, तो कार्य ठेकेदार को भुगतान कर का आईटीसी प्राप्तकर्ता को उपलब्ध होगा, जो भी प्राप्तकर्ता का व्यवसाय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधे और मशीनरी के संबंध में काम अनुबंध नकारात्मक सूची के भीतर आता है और आईटीसी पाठ्यक्रम के दौरान या व्यापार के आगे बढ़ने पर उपलब्ध होगा।

**अभिलेखों का रखरखावः**

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 56 (14) के अनुसार, कार्य अनुबंध निष्पादित करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कार्य अनुबंध के लिए अलग–अलग खाते रखना चाहिए – (ए) जिन व्यक्तियों की ओर से अनुबंध निष्पादित किया गया है, उनके नाम और पते (बी) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के विवरण, मूल्य और मात्रा (जहॉ भी लागू हो) य (सी) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले सामान या सेवाओं के विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां भी लागू हो) य (डी) प्रत्येक कार्य अनुबंध के संबंध में प्राप्त भुगतान का ब्योरा और (ई) आपूर्तिकर्ताओं के नाम और पते जिनसे उन्हें सामान या सेवाए मिलीं।

**जीएसटी की दरः**

वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट सेवा के लिए जीएसटी की दर अधिसूचना सं. 11/2017 के केन्द्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 3 में निर्धारित की गई है, जैसा अधिसूचना सं. 20/2017–22.08.2017 की केंद्रीय कर (दर) और अधिसूचना सं. 4/2017–21.08.2017 की केंद्रीय कर (दर) और निम्नानुसार हैः

| | | |
|---|---|---|
| (i) | ए का निर्माण जटिल, भवन, सिविल संरचना या इसके एक हिस्से, जिसमें जटिल या भवन शामिल है के लिये बिक्री सेवा मेरे ए खरीदार, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जहां पूरा विचार पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद प्राप्त किया गया है, कहा आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या अपने पहले व्यवसाय के बाद, जो भी पहले हो। (इस अधिसूचना के अनुच्छेद 2 के प्रावधान इसके मूल्यांकन के लिए आवेदन करेंगे सर्विस) | 9 प्रतिशत सीजीएसटी<br>9 प्रतिशत एसजीएसटी |
| (ii) | कार्यों की समग्र आपूर्ति केन्द्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 की धारा 119 में परिभाषित अनुबंध, 2017. | 9 प्रतिशत सीजीएसटी<br>9 प्रतिशत एसजीएसटी |
| (iii) | कम्पोजिट आपूर्ति का अनुबंध काम करता है जैसा परिभाषित में धारा (119) केन्द्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के 2017 सरकार स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को निर्माण, निर्माण कमीशनिंग, स्थापना, समापन, फिटिंग बाहर, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण, या परिवर्तन– | 6 प्रतिशत सीजीएसट<br>6 प्रतिशत एसजीएसट |

(ए) एक ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल या राष्ट्रीय महत्व के अवशेष पुरातात्विक उत्खनन, या पुरातनता प्राचीन के तहत निर्दिष्ट स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 (24 में से 1958)

(ख) नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य

(सी) पाइपलाइन, conduit या संयंत्र के लिए

(i) जल आपूर्ति (ii) जल उपचार या

(iii) सीवरेज उपचार या निपटान

(iv) कम्पोजिट आपूर्ति का अनुबंध काम करता है जैसा परिभाषित में धारा (119) केंद्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के, 2017 निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, समापन, फिटिंग बाहर, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, या परिवर्तन– — 6 प्रतिशत सीजीएसट, 6 प्रतिशत एसजीएसट

(ए) सामान्य रूप से उपयोग के लिए सड़क परिवहन के लिए एक सड़क, पुल, सुरंग, या टर्मिनल जनताः

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन या राजीव आवास के तहत एक योजना से संबंधित एक नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल कार्य योजना

(सी) एक नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल काम करता है संबंधित सेवा मेरे हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) के तहत निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा झोपडपट्टी के निवासियों के इन–सीटू पुनर्वास मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना, केवल मौजूदा झोपडपट्टी के लिए में रहने वाले लोगों

(घ) ''लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्ति से संबंधित एक नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल कार्य घर निर्माण/वृद्धि के तहत आवास के लिये सब (शहरी) मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना

(ई) एक प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण उपचार संयंत्र, के रूप में स्थित के अलावा कारखाने का एक हिस्सा या

(एफ) अंतिम संस्कार के लिए एक संरचना, मृतक की दफन या श्मशान

(v) केंद्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति, निर्माण, निर्माण, कमीशन, या मूल कार्यों की स्थापना के माध्यम से आपूर्ति की गई है,– — 6 प्रतिशत सीजीएसट, 6 प्रतिशत एसजीएसट

(ए) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर

(ख) आवासीय के हिस्से के अलावा अन्यथा एक आवासीय इकाई जटिल

(सी) साझेदारी में किफायती आवास के योजना के तहत सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक आवास परियोजना में प्रति घर 60 वर्ग मीटर का एक कार्पेट एरिया अप करने के लिए कम लागत वाली घरों फायनेंस द्वारा आवास मंत्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन, भारत सरकार

(डी) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना में 60 वर्ग मीटर प्रति घर के एक कार्पेट क्षेत्र तक कम लागत वाले घर– — 6 प्रतिशत सीजीएसट, 6 प्रतिशत एसजीएसट

(1) सभी (शहरी) मिशन/प्रधान के लिए आवास के ''साझेदारी मे वहनीय आवास'' घटक मंत्री आवास योजना

(2) राज्य सरकार की कोई आवास योजना

(ई) फसल के बाद ऐसे उद्देश्यों के लिए ठंडे भंडारण सहित कृषि उपज के भंडारण बुनियादी ढांचे या

(चा) यंत्रीकृत भोजन अनाज खाद्य पदार्थों के रूप में कृषि उपज को संसाधित करने वाली इकाइयों के लिए सिस्टम, मशीनरी या उपकरण हैंडलिंग के सिबा मादक पेय
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकारण या सरकारी प्राधिकाण को निर्माण, निर्माण, कमीशन, स्थापना, समापन, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण, या परिवर्तन–

(ए) एक नागरिक संरचना या किसी अन्य मूल कार्य का मुख्य रूप से वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय के अलावा अन्य उपयोग के लिए उपयोग किय जाता है या पेशे

(बी) मुख्य रूप से उपयोग के लिए एक संरचना (i) एक शैक्षिक, (ii) एक नैदानिक, या (iii) एक कला या सांस्कृतिक प्रतिष्ठानय या

(सी) एक आवासीय परिसर मुख्य रूप से केन्द्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम के अनुसूची III के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट स्वयं के उपयोग या उनके कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए 2017.

(I) के अलावा निर्माण सेवाएं, 6 प्रतिशत सीजीएसट

(ii) (iii) (iv) (v) और (vi) ऊपर 6 प्रतिशत एसजीएसट

**मूल्यांकनः** एक कार्य अनुबंध सेवा का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध में अनुबंध के हिस्से के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है या नहीं।

सेवा की आपूर्ति के मामले में, भूमि में संपत्ति के हस्तांतरण या भूमि के अविभाजित हिस्से को शामिल करने के मामले में, इस तरह की आपूर्ति में सेवा और माल के हिस्से की आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के लिए लगाई गई कुल राशि के बराबर होगा। भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा, जैसा भी मामला हो, और जमीन के मूल्य या जमीन के अविभाजित हिस्से के मामले में, जैसा कि मामला हो, ऐसी आपूर्ति में ऐसी आपूर्ति के लिए लागई गई कुल राशि का एक तिहाई माना जाएगा।

स्पष्टीकरण।– उपरोक्त उद्देश्य के लिए, कुल राशि का अर्थ कुल योग है, – उपयुक्त सेवा के लिए विचार किया गया विचारय और जमीन के हस्तांतरण या भूमि के अविभाजित हिस्सेदारी के लिए चार्ज की गई राशि, जैसा मामला अनुबंध के संबंध में आपूर्ति का स्थान हो सकता है।

जीएसटी के तहत काम अनुबंध आवश्यक रूप से अचल संपत्ति शामिल होगा। इसके संदर्भ में आपूर्ति की जगह आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 (3) द्वारा शासित होगी, जहां सप्लायर और प्राप्तकर्ता दोनों भारत में स्थित है। आपूर्ति की जगह होगी जहां अचल संपत्ति स्थित है।

यदि अचल संपत्ति भारत के बाहर स्थित है, और आपूर्तिकर्ता के साथ–साथ प्राप्तकर्ता दोनों भारत में स्थित है, आपूर्ति की जगह आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 (3) के प्रावधान के अनुसार प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 (4) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां प्रदायक या प्राप्तकर्ता भारत के बाहर स्थित है, आपूर्ति की जगह वह जगह होगी जहां अचल संपत्ति स्थित है या या स्थित होने का इरादा है।

**निष्कर्ष :**

एक कार्य अनुबंध जीएसटी के तहत सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। पिछले अप्रत्यक्ष करों के वितरण के तहत, कार्य अनुबंध के कर उपचार में मुद्दे थे। केन्द्र सरकार (एक कार्य अनुबंध के सेवा घटक पर) और राज्य सरकार (एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान हिस्से की बिक्री पर) कर लगाने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार एक ही अनुबंध केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा कराधान के अधीन था। जीएसटी का उद्देश्य एक कार्य अनुबंध (केवल अचल संपत्ति के लिए लागू) का गठन करेगा, यह बताकर विवाद को आराम देना होगा कि एक कार्य अनुबंध सेवा की आपूर्ति करेगा और पूरे भारत में समान मूल्य पर लागू कर की एक समान दर निर्दिष्ट करेगा। इस प्रकार, जीएसटी के तहत, कार्य अनुबंध का कराधान प्रशासन के लिए आसान और आसान होगा।

*Ref.: MPSSIO/23/2018-19/*

*Source: Commercial Taxes View, Issue-413, Vol. 35 Sep, 2018*

वर्षः 15 संयुक्तांकः 17–18 दि.–10/25.09.2018

Posted on 15th and 30th of Every Month

# Difference Between Inspection & Search Under GST

| Aspect | Inspection - Sec. 67(1) | Search - Sec. 67(2) |
|---|---|---|
| Primary Purpose | Verification of transactions of supplies, Stock in hand, claim of ITC & contravention of provisions of the Act to evade tax. | Unearthing of goods liable for confiscationor Secreted Books, documents or things. |
| Scope | Inspection can be done at Place of Business only | Search can be done at Any Place including residence of tax payer and/ or employees. |
| Powers | Forceful action (Sealing or Break Open) cannot be adopted. | Seal or Break Open the door of any premises or break open any almirah, electronic devices, box, receptacle in which any goods accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, almirah, electronic devices, box or receptacle is denied, can be resorted. |
| Seizure of Goods | Goods cannot be seized in inspection proceedings. | Goods can be seized if they are liable for confiscation. If not practically possible to seize, constructive seizure can be there. |
| Seizure of Books of Accounts/ Documents | Books/ documents cannot be seized in inspection proceeding. | Any secreted document, books or things which may be useful or relevant to any proceedings can be seized. |

## विनम्र निवेदन

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष 1 अप्रेल से देय होती है। देय सदस्यता शुल्क की राशि का डिमाण्ड नोट सभी सदस्यों की ओर माह अप्रेल, 2018 में प्रेषित किया जा चुका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, कृपया निम्नलिखित के आधार पर वर्ष 2018–19 के लिए सदस्यता शुल्क की राशि भिजवाने का कष्ट करें।

**वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित राशि का विवरण**

1. औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों हेतु –– रू. 1200/–
2. रू. 5 करोड़ तक का वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु –– रू. 1200/–
3. रू. 5 से 75 करोड़ तक का वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु –– रू. 1500/–
4. रू. 75 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु –– रू. 2000/–

चेक **"म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन"** के नाम भोपाल में देय होगा। आर्गेनाइजेशन का बैंक विवरण निम्नानुसार है। आप बैंक खातें में भी राशि जमा कराकर तत्संबंधी सूचना हमें दे सकते हैं जिन सदस्यों ने सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी है, कृपया इस निवेदन को नजरोअंदाज करने की कृपा करें।

**Our Bank Details:**

a. Name of A/c : MP Small Scale Industries Organization
b. Bank Name: Union Bank of India, Arera Colony Branch, Bhopal.
c. IFS Code: UBIN0545171
d. A/c No. : 451702010003610

**MPSSIO** की ओर से **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित, संपादक **विपिन कुमार जैन** Ph.: 0755–2467714, 4296168 ema

Website: www.mplus.co.in